रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240638 CG-DL-E-29112022-240638

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 763]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2022/अग्रहायण 8, 1944

No. 763]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022/AGRAHAYANA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 854(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उप धारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (iv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.798(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक फा.सं.पी-12011/14/2020-ईएस सैल-डीओआर को विखंडित करती है।

[फा. सं. पी-12011/7/2022-ईएस सैल-डीओआर]

शशांक मिश्रा, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2022

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred under sub-clause (iv) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No.F.No.P-12011/14/2020-ES Cell-DOR, dated 28th December, 2020, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), Extraordinary, *vide* G.S.R. 798(E) dated the 28th December, 2020.

[F. No. P-12011/7/2022-ES Cell-DOR]

SHASHANK MISRA, Director (Headquarter)

7919 GI/2022 (1)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 29 नवम्बर. 2022

सा.का.नि. 855(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उप धारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (iii) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (यड) के अधीन यथा परिभाषित 'भू-संपदा अभिकर्ताओं' को और भू-संपदा के विक्रय या क्रय के संबंध में सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए व्यक्ति और जिनका वार्षिक आवर्तन बीस लाख रुपए और उससे अधिक है, को "अभिहित कारबार या वृत्ति करने वाला व्यक्ति" समझा जाएगा।

[फा. सं. पी-12011/7/2022-ईएस सैल-डीओआर] शशांक मिश्रा, निदेशक (मुख्यालय)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2022

G.S.R. 855(E).—In exercise of the powers conferred under sub-clause (iii) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby notifies that 'real estate agents' as defined under clause (zm) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) and as a person engaged in providing services in relation to sale or purchase of real estate and having annual turnover of Rupees twenty lakhs and above, as a "person carrying on designated business or profession".

[F. No. P-12011/7/2022-ES Cell-DOR]

SHASHANK MISRA, Director (Headquarter)